[Shri Hathi]

has been pending for years together and it was not possible to solve it. The Consultative Committee appointed a sub-committee and this sub-committee submitted a report. This report has to be implemented. But it will certainly take time. We have to find out who are the encroachers and who the lessees and from what particular date, whether the same compensation should be paid or it should vary, etc. All these have to be considered by the Government and I am sure they are considering them. They have already started the first step of implementation, i.e. issuing identity cards. On the whole, I can say that the State Government has tried to the extent it can to look to the interests of the people of Kerala and it cannot be said that there have been failures.

One member said that there has been a failure, but no achievement. To a degree I would subscribe to that view, because whatever may be the level of development, if you do not have a democratic government in a particular area, I would not call it an achievement. I wish the people of Kerala achieve that. That will be the greatest achievement. Nobody need entertain the fear that if there is a single majority party, that party will not be able to form a government. Only where the parties could not command a majority, as happened last time, then only this article of the Constitution has to be invoked. I think that would be the greatest achievement. All other achievements minus that would be to my mind a failure. To that extent, I subscribe to that view.

On the main issue whether the Proclamation should be extended or not, there was no difference of opinion. All the members who spoke took a practical view, namely, even if we now decide to have elections, the preparations for election will take two or three months. That means, the election would be sometime in January. But the general elections are coming in February. So, it would be a waste to have an election in January and again general elections in February. That is the main issue today, whether the Proclamation should be extended or not. Regarding other questions which were raised, I have tried to answer most of them.

I commend this Resolution to the acceptance of the House.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated 24th March, 1965, in relation to the State of Kerala, issued under article 356 of the Constitution by the Vice-President of India, discharging the functions of the President, for a further period of six months with effect from November 11, 1966."

The motion was adopted.

14.34 hrs.

INSECTICIDES BILL

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं यह प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा अपनी 26 जुलाई, 1966 को हुई बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 28 जुलाई, 1966 को इस सभा को भेजी गई इस सिफ़ारिश से सहमत है कि यह सभा मानव प्राणियों या केशरुकीय जीव जन्तुओं के खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियमन करने

के लिये और तत्सम्बन्धित विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सद यों को नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात् :—

श्री पीटर अल्वारेस, श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री विभूति मिश्र, श्रीमती जोहराबेन अकबरभाई चावदा, सरदार दलजीत सिंह श्री गणपति राम, श्री अन्सार हरवानी, श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका, श्री एस० कंडप्पन, सरदार कपूर सिंह, श्री सी० एच० मुहम्मद कोया, श्री प० न्हन, श्री नरेन्द्र सिंह महीडा, श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा, श्री पी० मरुथिया, श्री शिव चरण माथुर, श्री कृष्णजी लक्ष्मण मोरे, श्री पी० के० वासुदेवन नायर, श्रीमती सहोदरा बाई राय, चौधरी राम सेवक, श्री जु० रमापति राव, श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी, डा० शिशिर कुमार साहा, श्री चि० सुब्रह्मण्यम्, श्री सूर्य प्रसाद, श्री मुहम्मद ताहिर, श्री डोडा तिम्म या, श्री विश्राम प्रसाद, श्री युद्धवीर सिंह और डा० सुशीला नायर ।

यह सभा राज्य सभा से यह भी सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति को 30 नवम्बर, 1966 तक प्रतिवेदन देने की हिदायत दी जाये ।"

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह कानून शीघ्रातिशीघ्र इसी सेशन में पारित किया जाये । आपको स्मरण होगा कि कीटनाशी दवा के खुराक से मिल जाने के कारण केरल में कई मृत्यु होने के कारण, 1958 में सरकार ने श्री शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसको इनसेक्टिसाइड्ज के बारे में विचार करने के लिये कहा गया था, उस कमेटी ने सिफारिश की कि एक विधेयक बनाया जाये, जिसके अनुसार इनसेक्टिसाइड्ज के मैनुफ़ेक्चर, डिस्ट्रिब्यूशन और इस्तेमाल वगैरह की सब स्टेजिज पर कुछ कंट्रोल रखा जा सके । इस विधेयक की आवश्यकता इसलिये महसूस हुई कि आपको स्मरण होगा कि उस समय किसी जहाज में खाने में इनसेक्टिसाइड्ज मिल जाने से बहुत से लोगों का जीवन जाता रहा था । उस बड़ी दुर्घटना से सब लोग परेशान हो उठे थे और यह कमेटी नियुक्त की गई थी । उस कमेटी ने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी और इस प्रकार का विधेयक बनाने का सुझाव दिया । सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार किया, लेकिन अनेक कारणों से इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई ।

1962 के चुनाव के बाद नई पार्लियामेंट आई और उस समय के खाद्य मंत्री, श्री एस० के० पाटिल, ने मुझे 1963 में एक पत्र लिखा, जिस में उन्होंने कहा कि अगर इस विधेयक के काम को खाद्य मंत्रालय के बजाये स्वास्थ्य मंत्रालय ले ले, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ड्रग्ज कंट्रोल की मशीनरी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है और वे लोग इस कार्य को भी आसानी से कर सकेंगे । तब एक बिल तैयार किया गया और उस को राज्य सभा में पेश भी कर दिया गया । लेकिन उस विधेयक के पारित होने से पहले नये खाद्य मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम्, ने प्रोफ़ेसर थैकर और अन्य लोगों की एक कमेटी नियुक्त की, जिसने इस विषय में कुछ सुझाव दिये । श्री सुब्रह्मण्यम् ने मुझे पत्र लिखा कि अच्छा होगा कि आप इस कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करें और उसके बाद इस विधेयक को लायें ।

[डा० सुशीला नायर]

उस कमेटी की रिपोर्ट अभी थोड़ा समय पहले आ गई, और उसके बाद इस बिल को राज्य सभा में दाखिल किया गया। राज्य सभा ने उसको अपनी स्वीकृति दी और उस को जायंट सिलैक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की सिफ़ारिश की, ताकि रिपोर्ट इस नई कमेटी के सुझावों पर भी विचार करके इस विधेयक में उचित-दुरुस्ती या तब्दीली करने की सलाह इस सदन को दी जा सके। जिस के बाद यह सदन इस विधेयक को पारित कर सके।

मेरा विनम्र निवेदन है कि यह विधेयक पास करने में पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है और इस दरमियान दो चार जगहों पर खाद्य पदार्थों में इनसेक्टिसाइड्ज के मिल जाने के कारण कुछ और भी दुर्घटनायें हो चुकी हैं, जिन में कुछ लोग बीमार हुए और कुछ मर भी गए। इस लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र इनसेक्टिसाइड्ज के सारे मसल को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और इस पर सही प्रकार का नियंत्रण रखने के लिए यह सदन एक विधेयक पारित करे। इस दृष्टि से आपके द्वारा सदन से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विधेयक पर विचार करने के लिए इस जायंट सिलेक्ट कमेटी में शामिल होने की स्वीकृति दे।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or vertebrate animals, and for matters connected therewith, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 26th July, 1966 and communicated to this House on the 28th July, 1966, and resolves that the following 30 members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—
>
> Shri Peter Alvares, Shri K. L. Balmiki, Shri Bibhuti Mishra, Shrimati Zohraben Akbarbhai Chavda, Sardar Daljit Singh, Shri Ganapati Ram, Shri Ansar Harvani, Shri J. N. Hazarika, Shri S. Kandappan, Sardar Kapur Singh, Shri C. H. Mohammad Koya, Shri P. Kunhan, Shri Narendrasingh Mahida, Shri Inder J. Malhotra, Shri P. Maruthaiah, Shri Shiv Charan Mathur, Shri K. L. More, Shri P. K. Vasudevan Nair, Shrimati Sahodra Bai Rai, Chowdhary Ram Sewak, Shri J. Ramapathi Rao, Shri R. Surender Reddy, Dr. Sisir Kumar Saha, Shri C. Subramaniam, Shri Surya Prashad, Shri Mohammad Tahir, Shri Dodda Thimmaiah, Shri Vishram Prasad, Shri Yudhvir Singh, and Dr. Sushila Nayar.
>
> This House further recommends to Rajya Sabha that the said Joint Committee be instructed to report by the 30th November, 1966."

There is a substitute motion. Is the hon. Member moving it?

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): No, Sir.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill has been brought not too soon. The hon. Minister of Health has referred to the occurrence which compelled the introduction of the Bill and due to which there were losses of a large number of lives on account of foodgrains being mixed up with insecticides which have harmful effects on human system.

Having gone through this Bill, I find the objects are to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides. I feel that the hon. Minister should look into the provisions of this Bill. There ought to be some check on the authority to keep these insecticides. A large number of reports have appeared in the newspapers in which the insecticides, particularly the one named folidol, have been used for the purpose of suicides. If the newspaper reports could be collected there would be a good number of cases in which folidol has been used for that deplorable purpose. People have been using folidol for committing suicide.

There is one thing more—that is also, of course, provided in this Bill—and that is the use of insecticides. The use of insecticides has led to the contamination of food crops growing in some areas. The insecticide having not been used with proper care it has led to harmful effects on the human system and also caused some deaths.

There is provision for punishment. These punishments, I believe, are justified. But in some of these cases, as I look through the provisions, I feel that they ought to be modified so that the orders issued from the court inflicting those punishments may be done with more caution and more care. Of course, the Bill provides in the very beginning that it gives only additional powers and other powers given to the authorities for checking harmful effects contemplated by this Bill are not affected and are retained. That is very helpful.

I would like to suggest one amendment. If the hon. Minister kindly looks into it she will find that the Bill says that it is for "human beings or vertebrate animals". That is the expression used. That expression might be leading to some difficulty when it comes to the question of interpretation. If you say "human beings or vertebrate animals" it might be taken to mean that human beings are not included in the vertebrate animals, the two are put in two different classes. I would suggest that she should herself propose an amendment to the expression saying that wherever this expression occurs in this Bill the word "other" should be put before the word "vertebrate" so that then the expression would be "human beings or other vertebrate animals". Otherwise it might lead to some difficulty some day in the hands of the court when interpreting this particular expression.

On the whole, the Health Minister is to be congratulated for the promptness with which she has carried out the objects of the Committee which was appointed by our Food Minister, Shri Subramaniam, and the provisions that are there in this Bill are for preventing misuse of insecticides. The expression used is "mis-branded". That is an expression which covers a lot of things, and I believe if that expression is used with particular care, misuse of insecticides as is found and as has occurred in some places would be prevented by the provisions of this Bill. I thank her for having brought in this Bill.

श्री श्रीनारायण दास : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक पदार्थों के बनाने, बेचने, रखने, जहां तहां ले जाने, वितरण करने और इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में यह विधेयक माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो उपस्थित किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य में बताया गया है भारत के विभिन्न प्रान्तों में इस कीटाणुनाशक पदार्थ के खाद्य पदार्थ में मिलावट हो जाने से कई जगह बड़ी तादाद में बहुत से लोगों की जान चली गई । यह पदार्थ देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं । हाल में हमारे देश में खेती के उत्थान के लिए और विभिन्न प्रकार की उपजों को कीटाणुनाशक पदार्थों से बचाने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है और उस का वितरण भी और प्रसार भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है । खेती करने वाले जो हमारे देश के हैं वह भी इस का इस्तेमाल दिनों दिन अधिकाधिक रूप में करने लगे हैं । ऐसी हालत

[श्री श्रीनारायण दास]

में यह प्रस्ताव सामने आया है कि इस प्रकार के जो पदार्थ हैं कीटाणुनाशक जो मनुष्य के जीवन के लिए और जानवरों के जीवन के लिए खतरनाक हैं, ऐसी वस्तुओं के नियंत्रण के लिए इस देश में कानून बनाया जाय और जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, इसके सम्बन्ध में सरकार ने जो कमीशन नियुक्त किया था उसने भी इस बात के लिये बहुत जोर दिया है। उसी की सिफारिश के फलस्वरूप यह विधेयक हमारे विचारार्थ यहां उपस्थित किया गया है और इसे प्रवर समिति में भेजा जाने वाला है ।

एक बात इसके सम्बन्ध में मैं पहले कहना चाहूंगा कि इस कानून को कार्य रूप देने के लिये जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई जा रही हैं या विभिन्न प्रकार के अधिकारी इस कानून को चालू करने के लिए नियुक्त किये जायेंगे उन सब के बारे में बहुत जिम्मेदारी से विचार करने की जरूरत है। सेंट्रल इनसेक्टिसाइड्ज बोर्ड, लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन कमेटी, लाइसेंसिंग आफिसर और सुपरवाइजरी इंसपेक्टर्स जो इन सब कामों की देख भाल करने के लिए बहाल होंगे, उन के ऊपर बहुत जबर्दस्त जिम्मेदारी आने वाली है। कीटाणु नाशक पदार्थों के उत्पादन के लिए, वितरण के लिए और बेचने के लिए अभी कुछ नियंत्रण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरा जहां तक खयाल है एक दूसरे कानून के अन्दर इस बात का नियंत्रण कुछ हद तक किया जाता है । लेकिन जहां तक मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य का ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में नियन्त्रण इस विधेयक से होने वाला है। मेरा विचार है कि जिन संस्थाओं का नियमत या जिन अधिकारियों के जिम्मे इस कानून को चलाने की जिम्मेदारी आने वाली है उसके लिये जो व्यक्ति नियुक्त किये जायें उनका व्यवहार और आचरण ऐसा होना चाहिये कि सचमुच जो इस कानून का उद्देश्य है वह पूरा हो सके। मैं इस बात को यहां कहूंगा कि एक मौका हम को मिला जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे उद्देश्य से हम लोगों ने अपने देश में एक कानून बनाया है, जो कि आवश्यक भी था, वह है प्रिवन्शन आफ एडल्टरेशन इन फूड । उसके संगठन सारे देश में हैं, विशेषकर राज्य के सरकारों के ऊपर इस कानून को लागू करने का अधिकार दिया हुआ है, यद्यपि हमने इस संसद् के द्वारा इस कानून को पास किया है । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके संचालन के लिये, उसकी देख भाल के लिये, जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, उनका व्यवहार ऐसा है जिससे जनता बहुत ही असन्तुष्ट है ।

यह बात सही है कि खाद्य पदार्थ की निगरानी हो और खाद्य पदार्थ में मिलावट न हो, क्योंकि मिलावट करने का मनुष्य और समाज के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है । बहुत से आदमियों की जानें चली जाती हैं, बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं । लेकिन साथ ही साथ यह बात भी कहने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि हमारे फूड ऐडल्टरेशन ऐक्ट के अन्दर जितने भी इन्सपेक्टर लोग हैं वह ऐसे तबकों से आते हैं कि अपने काम के सिलसिले में पैसे बनाने का काम उन का हो जाता है । जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटी छोटी दुकानें करते हैं, उन को वे तंग करते हैं । जो उनको खुश नहीं रखते किसी तरीके से, उनके खिलाफ तो वह मुकदमे चलाते हैं और जो व्यापारी या खाद्य पदार्थ बेचने वाले इन्सपैक्टर को खुश करते हैं अगर वह मिलावट भी करते हुए पाये जाते हैं तो भी वे उनको छोड़ देते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती । नतीजा यह होता है कि कानून की जो मंशा होती है वह पूरी नहीं होती । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कानून बनाना बहुत ही जरूरी है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि कानून को लागू करने के लिये हम जो मशीनरी बनाते हैं, जो अधिकारी हम नियुक्त करते हैं, उनका व्यवहार पूरा सन्तोषजनक हो।

मुझे इसके कहने में कुछ संकोच जरूर होता है कि हमारे स्कूलों और कालेजों से जो लोग निकलते हैं, जो पढ़ कर आते हैं, उनमें से ही यह लोग लिये जाते हैं और हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आवाज लगाई जाती है लेकिन जो लोग आवाज करते हैं उनमें बहुत से लोग वे होते हैं जो खुद भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। जो इन्सपेक्टर इस कानून के अन्दर नियुक्त किये जायें उनकी नियुक्ति करने का निर्णय करने के सम्बन्ध में कि कौन कौन से नियुक्त किये जायें, उनकी ईमानदारी और सचाई का पूरा ख्याल रक्खा जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो भी कानून हम अच्छी मंशा से बनाते हैं उसका बहुत बुरा असर देहातों के अन्दर पड़ता है। वहां की जनता समझती है कि जितने भी कानून नियन्त्रण के लिये बनते हैं वे उनको सहायता देने के लिये उनको तंग करने के लिये हैं। और जितने भी अफसर सरकारी नौकरी में आते हैं इस कानून के अन्दर वह जनता की सेवा करने के लिये नहीं जनता को तंग करने के लिये आते हैं। नतीजा यह होता है कि यहां पर जनता पिसती रहती है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम सब से पहले इस बात की निगरानी रक्खें कि एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जो यह देखे कि देहातों के अन्दर फूड ऐडल्टरेशन ऐक्ट में जो इन्सपेक्टर रखे जाते हैं उनका काम गांव के खिलाफ पड़ता है या गांव मदद के लिये होता है। इस को देखने के लिये एक अफसर होना चाहिए नहीं तो इस कानून की मंशा पूरी नहीं होगी जहां निर्णय करने का अधिकार रजिस्ट्रेशन कमेटी या इन्सपेक्टर या लाइसेंसिंग कमेटी को दिया हुआ है कि वह दरख्वास्त को नामंजूर करें वहां नामंजूर करने के साथ साथ उन्हें यह देना चाहिये कि क्यों नामंजूर किया गया।

मैं समझता हूं कि बहुत सी जगहों में यह है कि अपील होगी। लेकिन अपील किस बात पर होगी। ऐग्रीव्ड तो हम होंगे लेकिन जो निर्णय करने वाला अधिकारी है अगर निर्णय करने से पहले वह कारण बतला दे कि किस कारण से वह दरख्वास्त को रद्द करता है तो उसके आधार पर जो ऐग्रीव्ड पार्टी है वह दूसरी अपील में जा सकता है। प्रवर समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जहां जहां निर्णय करने वाला अधिकारी दरख्वास्त को नामंजूर करे वहां नामंजूर करते समय कारण भी दे।

यहां दिया हुआ है कि एक केन्द्रीय कीटाणुनाशक लेबोरेटरी होगी। साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि इस बोर्ड को अधिकार होगा कि जो लेबोरेटरी का काम होगा वह दूसरी संस्थाओं को भी दे सके। मैं समझता हूं कि इसमें इस बात का जिक्र रहना चाहिये कि किस प्रकार की संस्था को यह काम सौंपा जा सकेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की संस्थाओं को यह काम सौंपा जायेगा। लेबोरेटरी हो यह जरूरी है। इस कानून के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी की स्थापना करेगी। उसकी शाखायें हर प्रदेश में हो सकेंगी, यह मैं मानता हूं। हिन्दुस्तान बहुत विशाल देश है। यदि एक केन्द्रीय संस्था बनाई जाती है तो साधारण जनता को आने जाने में बड़ा खर्च पड़ जाता है। यदि हम केवल एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करते हैं तो उसका लाभ वही उठा सकते हैं जो कि धनी लोग हैं, जो पैसा खर्च कर के दिल्ली में आ जा सकते हैं। दिल्ली आने में और इस केन्द्रीय संस्था से लाभ उठाने में गरीब जनता को बहुत नुकसान पड़ता है। इसलिये इस प्रकार की संस्था का निर्माण अगर केन्द्र में हो तो उसकी शाखायें विभिन्न राज्यों में हों यह बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता और राज्यों में शाखायें न बनें तो इस संस्था का लाभ गरीब आदमी नहीं उठा सकेंगे।

इस विधेयक में कानून तोड़ने वालों को जो सजा दी गई है वह कहीं पर कम है और कहीं पर ज्यादा है। अगर कोई इस कानून

[श्री श्रीनारायण दास]

के खिलाफ काम करे जो कि समाज के लिये बहुत हानिकारक है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिये. लेकिन साधारण अपराध के लिये कड़ी सजा न हो. मेरा ख्याल है कि प्रवर समिति इस बात पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह पास हो जायेगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्री जी इस बात का ख्याल रक्खेंगे कि इस कानून का पालन कराने के लिये जो व्यक्ति रक्खे जायेंगे वह ईमानदारी और सचाई से काम करेंगे तो कि समाज को पूरे से पूरा लाभ हो सके। ऐसा न हो कि इस पर पर नियन्त्रण करने से जनता को तकलीफ हो जाये।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं इस बात की ताईद करता हूं कि यह बिल बहुत अच्छे उद्देश्य से लाया गया है। यहां पर श्री भट्टाचार्य ने और श्री श्रीनारायण दास ने जो कुछ कहा है वह बहुत माकूल है। लेकिन एक चीज मुझे कहनी है कि इस का खास तौर पर उपयोग देहातों में होगा। हमारे यहां एक दफा कीटाणु मारने के लिये लोग स्प्रे ले कर आये और स्प्रे करने लगे। इस के बाद ही उन्हें किसी ने एक हाथ में खेनी तम्बाकू दे दी। उन्हों ने उस को खा लिया और उसको काफी तकलीफ हो गई और पेट फूल गया। उस को तुरन्त अस्पताल ले आया गया, लेकिन अस्पताल में ले जाते जाते वह मर गया। तब से ले कर आज तक उस इलाके में कोई भी स्प्रे को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। वह समझते हैं कि वह बहुत खतरनाक चीज है। कीटाणु मारने के लिये यह बहुत बढ़िया चीज है लेकिन उस का मिसयूज भी हो रहा है। इस की रुकावट होनी चाहिये। खास कर यह सावधानी बरतनी चाहिये कि जहां यह चीज इस्तेमाल की जाती हो वहां उसे बहुत सावधानी से रक्खा जाये और स्प्रे करने वाले लोग भी सावधानी बरतें।

मुझे इतना ही कहना है। जैसा हमारे मित्र श्री श्रीनारायण दास ने कहा, यह प्रवर समिति में जा रहा है, मैं समझता हूं कि वहां पर इस पर विचार किया जायेगा।

15 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति, महोदय, डा० सुशीला नायर ने जो विधेयक उपस्थित किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। आज समाचारपत्र में उन का एक अन्वेषणपूर्ण और सुन्दर भाषण प्रकाशित हुआ है, जो कि वह काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में देने वाली थीं। चूंकि वह वहां नहीं जा सकीं, इसलिये उन का वह भाषण प्रकाशित किया गया है, जिस से आयुर्वेद पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उन्हों ने आयुर्वेद के लिये जिन अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, उन के लिए मैं काशी का एक नागरिक होने के नाते से उन को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि काशी आयुर्वेद का केन्द्र है और धन्वन्तरि भगवान वहीं पैदा हुए थे। हमारी यह जो विद्या लुप्त हो रही है, उस को पुनस्थापित करने के लिये माननीय मंत्री जो सद्प्रयास कर रही हैं, उस लिए उन के प्रति सारे भारतवर्ष की सहानुभूति है और सारा वैद्य समाज उन की जयजयकार कर रहा है, क्योंकि आजादी मिलने के बहुत दिनों के पश्चात् सरकार का ध्यान आयुर्वेद की ओर आकर्षित हुआ है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मद्रास, केरल और आगरा में फूड पायजनिंग केसिज होने के कारण एक कमेटी स्थापित की गई, जिस की सिफारिशों के फलस्वरूप संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के लिये यह विधेयक इस सदन में लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के अनुसार केवल फूड पायजनिंग से ही शरीर में विष का प्रवेश नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत से कारणों से शरीर में विष व्याप्त होता है, जो कि मनुष्य के लिए सांघातिक सिद्ध होता है। आयुर्वेद के अनुसार दो विरोधी पदार्थों को,

जैसे घी तथा शहद और दूध तथा दही, एक साथ खाने से मनुष्य के शरीर पर विष का सा असर होता है और उस की मृत्यु हो सकती है ।

इस लिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के विरोधी पदार्थों को एक साथ न खाने के बारे में भी प्रोपेगंडा किया जाना चाहिए । आज कल हम लोग पुरानी पद्धति को भूल रहे हैं, लेकिन हमारे खाने पीने का ढंग अभी प्राचीन ही है । लाखों वर्षों के अनुसन्धान का यह निष्कर्ष है कि विरोधी अर्थात् विलोम पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिये । स्वयं इन पदार्थों में चाहे विष न हो, लेकिन इन को एक साथ खाने से विष जैसा असर होता है । चूंकि लोग धीरे धीरे इन बातों को भूलते जा रहे हैं, इसलिये इस संबंध में प्रचार करने की आवश्यकता है ।

इस कीटनाशी विधेयक का हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर से सम्बन्ध है । इस विधेयक को लाने के लिये हम माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे यहां लाखों वर्षों का जो अनुसन्धान और अनुभव है कि विरोधी अर्थात् विलोम पदार्थों को खाने से फूड पायजनिंग हो सकता है, उस के बारे में भी प्रचार किया जायेगा ।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Mr. Chairman, Sir, Mr. Raghunath Singh just referred about Ayureda and he had very rightly drawn the attention of the House and the Minister. The *gaumutra* according to Ayurveda, is a purifyer, adisinfectant, which can be used for many purposes. I would not go into further details on it.

Sir, the cause of this Bill arose owing to food poisoning arising from the contamination of food with a poisonous organophosphorus insecticide 'Parathion' (Falidol). Later on, the Government of India appointed the Kerala and Madras Food Poisoning Cases Enquiry Commission. The recommendations of this Enqui Commission were accepted by t Government. The Government ap pointed an Inter-Ministerial Co mittee to look into this affair The Inter-Ministerial Committee suggested certain short-term and long-term measures. The short-term measures suggested by the Committee have already been given effect to. The long-term measures suggested by the Committee envisaged the enactment of legislation to regulate the manufacture, sale, storage, transport distribution and use of insecticides including pesticides, herbicides or fungicides in the country.

In 1962, in Malda in West Bengal and Dinajpur in Assam, 450 persons were crippled by paralysis. The contamination of wheat flour with 'tri-ortho-cresyl phosphate' was the cause of poisoning. The cases of food poisoning were reported in Bombay in January and February, 1963 as a result of ingestion of rice stored in bags which were reportedly strayed with 5 per cent Benzene Hexa-chloride. The cases of poisoning have been reported due to the indiscriminate use of organo-phosphorous compounds like Parthion, Malathion, Diaznon, Baytex etc. which are said to be marketed in concentrated forms for extermination of bed bugs.

During one of my visits to the Bombay port last year, when I had gone with the Estimates Committee, I was watching the deportation of wheat and along side the wheat deportation, I saw some chemical powders which were being inter-mingled with wheat and I had warned the port authorities that this combination of chemicals with the wheat grains will probably result into some food poisoning. But the port congestion is so heavy that they have no space. I request the Minister to see that at the ports when the foodgrains are being unloaded, there are no chemical compounds nearabout. If such measures are taken, then some of the things about which we have complained can be removed.

[Shri Narendra Singh Mahida]

The cases of food poisoning resulting from the use of copper sulphate among the shoe workers of Agra have also been brought to notice. The Kerala and Madras Food Poisoning Cases Enquiry Commission has recommended that the Central Insecticides Board be established. It is a very welcome suggestion. Further, they have suggested that a committee called the Registration Committee for the purpose of granting certificates of registration to persons desiring to import or manufacture insecticides be established. Secondly, they have suggested that there should be licensing of persons desiring to manufacture, sell or exhibit for sale or distribute any insecticide. Their third suggestion is that the Central Insecticides laboratory for carrying out certain functions under the Act be established. The fourth suggestion is that the import, manufacture, sale etc. of insecticides in contravention of the provisions of the Act be prohibited. Fifthly, the transport and the storage of insecticides so as to prevent cases of accidental contamination of food with insecticides be regulated. Sixthly, there should be a provision for taking immediate action by way of prohibition of sale or distribution or use of the insecticides where it is found that the sale, distributon or use of the insecticides is being done in such a way as to involve risks to human beings or vertebrate animals and where immediate action is necessary.

Now, I would like to draw your attention to clause 24 which is about persons bound to disclose place where insecticides are manufactured or kept. This is very necessary because at present the Government is not aware from where the insecticides are being bought or purchased. Then, there is clause 25 about the report of Insecticide Analyst. This is also a very welcome provision. Further, there is clause 27 which also deals with notification of poisoning and there is another clause 34 about offences by companies. These are all very welcome provisions.

This is a very laudable Bill and I welcome it.

Shri Muthiah (Tirunelveli): I rise to support the Bill. The object of this Bill is to prevent injury to human beings and to animals through insecticides. In 1958, a large number of deaths occurred in Madras and Kerala due to contamination of food with insecticides. The Central Government then appointed the Kerala and Madras Food Poisoning Cases Inquiry Commission to report on the circumstances leading to such deaths and the precautionary measures that had to be taken in future to avoid such food poisoning cases and deaths. The recommendation of the Commission was accepted by the Government and the Government appointed an Inter-Ministerial Committee which suggested certain short term and long term measures. As a long term measure this Committee recommended legislation to regulate the manufacture, sale, storage, transport, distribution and use of insecticides. The Bill, following the recommendation of the Commission, provides for (i) the establishment of a Central Insecticides Board and a Registration Committee for granting certificates of registration to persons desiring to import or manufacture insecticides; (ii) licensing of persons desiring to manufacture, sell or distribute any insecticide; (iii) establishment of a Central Insecticide Laboratory; (iv) prohibition of import, manufacture, sale, etc., of insecticides in contravention of the provisions of the Act; (v) regulation of transport and storage of insecticides so as to prevent cases of accidental contamination of food with insecticides; and (vi) provision to prohibit the sale, distribution or use of any insecticide which may injure a human being or an animal.

Mr. Chairman: Mr. Mahida has already mentioned all these.

Shri Muthiah: The Bill is concerned with registration of insecticides and licensing of persons who desire to manufacture or sell any insecticide. It

provides for the establishment of a Central Insecticides Board and a Registration Committee for this purpose. The Central Insecticides Board is meant to advise the Central Government and the State Government on technical matters. The Registration Committee is intended to register insecticides after ensuring their efficacy and safety to human beings and animals. The Central Insecticides Laboratory, to be set up, has to test the efficacy of the insecticides. The Bill provides for Insecticide Analysts for testing insecticides and for Insecticide Inspectors to help the States in the effective implementation of the provisions of this Act.

I now come to the Bill proper. Clause 1 of the Bill prohibits misbranded insecticides with false or misleading labels. Clause 9 contains a proviso which gives power to the Registration Committee to refuse to register the insecticide or to cancel the registration. This, I submit, is a good proviso, but this should not lead to official tyranny or hardship to the party. Clause 14 gives power to the licensing officer to revoke or suspend a licence on proper grounds. Here also it is necessary to ensure that officers act justly and fairly and impartially and do not cause unnecessary hardship to the parties. Clause 21 gives authority to an Insecticide Inspector to enter and search any premises on grounds of suspicion that the rules are violated. Clause 28 provides for the prohibition of the use of insecticides for reasons of public safety. This is an important and essential clause. Clause 39 gives exemption from the provisions of the Act to persons who use the insecticides for their own household purposes or for gardening purposes. This is good.

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : स्वास्थ्य मंत्री ने जो विधेयक उपस्थित किया है उस का मैं समर्थन करता हूं । यह कीटाणु-नाशक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं कि जिनकी आज आवश्यकता है । इन दिनों जब कि खाद्य की कमी है हमारे खेतों में, हमारे खेतों और बाजारों में इन कीटाणुओं के द्वारा जिस तरह अन्न का बिनाश होता है खाने वाली वस्तुओं का उनके संरक्षण के लिए इस की आवश्यकता है । लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में इस पर विचार किया जाय तो इस का भी ख्याल रखा जाय कि आदमी इन कीटाणुओं को मारने के लिये न खरीदकर कहीं अपनी आत्महत्या के लिए न खरीदने लगें। फसलों, सब्जियों आदि पर ज्यादा देर तक इन का असर बना रहता है तो आदमी की हत्या के कारण यह कीटाणुनाशक पदार्थ बन जाते हैं । यह इतने मंहगे न हो जायें कि लोग इन्हें खरीद ही न सकें । इन को सस्ता बनायें ।

दूसरी बात यह है कि यह विदेशों से आते हैं और विदेशी मुद्रा इस में खर्च होती है । इस का भी प्रयास हो कि यह तमाम कीटाणु नाशक पदार्थ हमारे देश में पैदा होने लगें और उन का यहीं उत्पादन हो । और उन का उत्पादन इतना हो कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिये उन का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके । मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इन बातों पर जिस वक्त प्रवर समिति में इस विधेयक पर विचार होगा, उस में इन बातों का ध्यान रखेंगी और इस बिल को उपयोगी बनाने का प्रयास करेंगी । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

डा० सुशीला नायर : सभापति जी, सदन ने इस बिल का स्वागत किया है उसके लिए मैं सदन की आभारी हूं । चन्द एक सुझाव आये हैं । वह सुझाव जहां तक अलग-अलग क्लाजेज से सम्बन्ध रखते हैं वह तो प्रवर समिति में देख लिये जायेंगे । जहां त रघुनाथ सिंह जी का सुझाव है खाने पीने के बारे में, कि क्या खाना चाहिये क्या नहीं खाना चाहिये इसके बारे में ध्यान दिया जाय, तो उसका इस विधेयक से तो सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षण के साथ उसका सम्बन्ध है, उसमें उसको देख लिया जायगा ।

[डा० सुशीला नायर]

जहां तक दाम का सवाल है तो वह तो सही बात है कि कीटनाशी दवाओं के दाम मुनासिब ही होने चाहिएं । सदन को मालूम है कि आम दवाइयों के दामों के ऊपर तो अच्छा खासा नियंत्रण रखा ही जा रहा है । कोई कारण नही है कि इन्सेक्टिसाइड्स वगैरह के दामों के ऊपर भी ठीक तरह से ध्यान न दिया जाय । देश में जहां तक इन चीजों को बनाने का ताल्लुक है तो मुझे खुशी होती है यह कहते हुए कि कुछ इस प्रकार की कीटनाशी दवा तो अब देश में बन भी रही हैं जैसे कि डी०डी०टी० इत्यादि । और भी बनाने का प्रयास हो रहा है । हम तो चाहते हैं कि हमारे देश की दवा और इन्सेक्टिसाइड्स वगैरह इस तरह की जितनी चीजें हैं उनकी आवश्यकता हम अपने यहां इन चीजों को बनाकर पूरी कर सकें तभी हमें संतोष होगा और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर से सदन का आभार प्रदर्शित करती हूं कि उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है । और मैं आप के द्वारा यह आश्वासन देती हूं कि जो भी सुझाव उन्होंने दिये हैं या आगे भी जो प्रवर समिति के सामने देना चाहेंगे उन पर उचित ध्यान दिया जायगा ।

Mr. Chairman: The question is:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the House on the Bill to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or vertebrate animals, and for matters connected therewith, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 26th July, 1966, and communicated to this House on the 28th July, 1966, and resolves that the following 30 members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:

(1) Shri Peter Alvares, (2) Shri K. L. Balmiki, (3) Shri Bibhuti Mishra, (4) Shrimati Zohraben Akbarbhai Chavda, (5) Sardar Daljit Singh, (6) Shri Ganpati Ram, (7) Shri Ansar Harvani, (8) Shri J. N. Hazarika, (9) Shri S. Kandappan, (10) Sardar Kapur Singh, (11) Shri C. H. Mohammad Koya, (12) Shri P. Kunhan, (13) Shri Narendra-Singh Mahida, (14) Shri Inder J. Malhotra, (15) Shri P. Maruthaiah, (16) Shri Shiv Charan Mathur, (17) Shri K. L. More, (18) Shri P. K. Vasudevan Nair, (19) Shrimati Sahodra Bai Rai, (20) Chowdhary Ram Sewak, (21) Shri J. Ramapathi Rao, (22) Shri R. Surender Reddy, (23) Dr. Sisir Kumar Saha, (24) Shri C. Subramaniam, (25) Shri Surya Prasad, (26) Shri Mohammad Tahir, (27) Shri Dodda Thimmaiah, (28) Shri Vishram Prasad, (29) Shri Yudhvir Singh, and (30) Dr. Sushila Nayar. This House further recommends to Rajya Sabha that the said Joint Committee be instructed to report by the 30th November, 1966."

The motion was adopted.

15.19 hrs.

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (VALIDATION OF ELECTRICITY TAX) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Home Afffairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to move that the Bill to validate the imposition and collection of certain taxes on the consumption or sale of electricity by the Delhi Municipal Corporation, be taken into consideration.

Under section 150 of the Delhi Municipal Corporation Act, the Delhi Municipal Corporation levies a tax on the consumption and sale of electricity. There was some confusion about the words "sale and